न्यायालय– समाहर्त्ता, सहरसा।

अधिग्रहण वाद संख्या– 75/2008–09

राज्य बनाम राम विलास कुमार, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, चिड़ैया।

आदेश

प्रशासनिक कार्य में व्यस्तता के कारण आदेश विलम्ब से पारित किया जा रहा है।

दिनांक– 10.05.2009 को 242 पैकेट में कुल 117.31 क्वींटल चावल जप्त कर राम विलास कुमार, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, चिड़ैया के विरूद्ध अधिग्रहण वाद की कार्यवाही चलाने का प्रस्ताव अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमरीबख्तियारपुर के पत्रांक 900–2 सपत्र दिनांक– 12.05.2009 से प्राप्त हुआ था।

प्राप्त प्रस्ताव पर इस कार्यालय के ज्ञापांक 398–2 दिनांक– 11.06.2009 द्वारा रामविलास कुमार, जन वितरण प्रणाली बिक्रेता चिड़ैया, प्रखण्ड– सलखुआ से कारण–पृच्छा की मांग की गयी थी।

श्री रामविलास कुमार, जन वितरण प्रणाली बिक्रेता ने अपने कारण–पृच्छा में कहा है कि वे चिड़ैया ग्राम के स्थायी निवासी है, परन्तु वर्त्तमान में सिमरीबख्तियारपुर के मारवन टोला स्थित अपने चदरा से निर्मित मकान में रहता हैं। सिमरीबख्तियारपुर से चिड़ैया की दूरी 20 किलोमीटर से अधिक है तथा रास्ते में दो बड़ी नदी पार कर स्थल पर जाना पड़ता है। श्री कुमार का यह भी कहना है कि अनुज्ञप्तिधारी बिक्रेताओं के कठिनाई को ध्यान में रखकर अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमरीबख्तियारपुर के ज्ञापांक 746–2 दिनांक– 10.06.2003 द्वारा सिमरीबख्तियारपुर से उठाव के बाद दो दिनों तक सामग्री सिमरीबख्तियारपुर में रखने की अनुमति प्रदान की गयी है, जिसमें यह भी कहा गया है कि अस्थायी रूप से रखे सामग्री की सूचना प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी तथा अनुमण्डल पदाधिकारी को देना बिक्रेता सुनिश्चित करेंगे। उक्त आदेश के अनुपालन में अस्थायी रूप से भंडारण की सूचना भी उन्होंने दिनांक– 07.05.2009 को प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, सलखुआ को दी थी। अग्रतर इनका कहना है कि उठाव किये गये सभी सामग्री 175.68 क्वींटल चावल तथा 5.22 क्वींटल गेहूँ गेहूँ में 58.37 क्वींटल चावल तथा 5.22 क्वींटल गेहूँ चिड़ैया स्थित वितरण स्थल पर पहूँच चुके थे तथा शेष सामग्रगी के भेजने के प्रयास में लगे थे। इसी बीच दिनांक– 10.05.2009 को प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा सामग्री जप्त कर सिमरीबख्तियारपुर थाना काण्ड संख्या– 100/2009 दर्ज करवा दिया। बिक्रेता का यह कहना है कि दियारा क्षेत्र होने के कारण

अपराधी तत्व सक्रिय रहता है तथा लूट–खसोट की संभावना को ध्यान में रखकर एकबार में सभी सामग्री ले जाना मुनासिब नहीं समझा जाता है। चूँकि कूपन जमा कराकर लाभुकों को सामग्री की आपूर्ति की गयी है एवं संग्रहित कूपन प्रखण्ड आपूर्ति कार्यालय में जमा करने के उपरान्त ही दूसरा आवंटन दिया जाता है। ऐसी स्थिति में कालाबाजारी संभव नहीं हो सकता है। पाये गये वाट एवं तराजू के बिन्दु पर विक्रेता का कहना है कि चिड़ैया से ट्रेक्टर वापसी के समय वहाँ के स्थानीय किसान श्री लक्ष्मी यादव द्वारा धान ट्रेक्टर पर लादकर लाया गया था और वाट एवं तराजू भी उसी कृषक का था। अन्ततः अपने को निर्दोष बतलाते हुए विक्रेता श्री कुमार ने चावल के खराब होने की संभावना को देखते हुए उक्त चावल किसी जन वितरण प्रणाली के दूकान के माध्यम से बिक्री करवाकर सामग्री उठाव में लगी लागत की राशि उन्हें वापस दिलाने की याचना की है।

आवेदक (राज्य) की ओर से विशेष लोक अभियोजक को सुना। अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। बिक्रेता द्वारा समर्पित कारण–पृच्छा के अवलोकन से स्पष्ट है कि दो दिनों के अन्दर अस्थायी भंडारण संबंधी अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमरीबख्तियारपुर के ज्ञापांक 746–2 दिनांक– 10.06.2003 द्वारा निर्गत आदेश का भी बिक्रेता द्वारा पालन नहीं किया गया है। चूँकि खाद्यान्न का उठाव दिनांक– 07.05.2009 को किया गया था तथा जप्ती की कार्रवाई तीन दिन व्यतीत होने पर दिनांक– 10.05.2009 को की गयी है। इस तरह बिक्रेता द्वारा सिमरीबख्तियारपुर में निर्धारित अवधि के परे भंडारण कर रखना कालाबाजीर की स्पष्ट संभावना दिखती है।

वर्णित स्थिति में जप्त 117.31 क्वींटल चावल को पूर्व में दिनांक– 10.06.2009 को अधिग्रहित की जा चुकी है। अतः अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमरीबख्तियारपुर को निदेशित किया जाता है कि जप्त चावल जन वितरण प्रणाली दूकान के माध्यम से बिक्री करवाकर प्राप्त राशि कोषागार में उचित शीर्ष अन्तर्गत अविलम्ब जमा करवाना सुनिश्चित करें।

इस निदेश के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

7.3.15

समाहर्त्ता,
सहरसा।

समाहर्त्ता,
सहरसा।

ज्ञापांक 515-2 /जिला विधि, सहरसा, दिनांक– 10 मार्च, 2015 ई. ।

प्रतिलिपि– अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिले के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10/3/15

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

7.3.15